बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि १४ सितम्बर, १९५६ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत नारायण लाल के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

GOVERNMENT QUARTERS FOR HOSPITAL STAFF.

28. **Shri TRIBENI KUMAR** : Will the Health Minister be pleased to state—

(1) whether the Assistant Surgeon and other staff of the M. S. D. State Hospital, Parbatta, Monghyr are experiencing great difficulties without Government quarters;

(2) whether there are proposals to build Government quarters for the Hospital Surgeon and staff in near future, if so, what has been the progress in this direction ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) और (२) उक्त अस्पताल के कर्मचारियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिये क्वार्टर की अनुमति दे दी है। तब तक के लिये जब तक कि उनके लिये क्वार्टर नहीं बन जाता है सरकार ने भाड़े के मकान का प्रबन्ध कर दिया है ।

श्री त्रिवेणी कुमार—अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है ?

श्री हरिनाथ मिश्र—अप्रैल के महीने में सेक्शन भेज दिया गया और जिलाधीश को कह दिया गया है कि जल्द-से-जल्द मकान बनवा दें लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है ।

SCARCITY OF TEXT BOOKS.

44. **Shri BAIJNATH SINGH** : Will the Education Minister be pleased to state—

(1) whether the State Government is aware that there is a scarcity of Text Books in the whole of Bihar ;

(2) if answer to the above clause be in the affirmative, what steps do Government propose to take to meet this shortage ?

विहार लैंड रिफौर्म्स विल, १९५३ (१९५३ की वि० सं० ३७)।

THE BIHAR LAND REFORMS BILL, 1953 (BILL NO. 37 OF 1953).

श्री यमुना प्रसाद सिंह—लास्ट टाइम हम बोल रहे थे रिफार्म्स विल पर। अब उसको लेना चाहिए।

The letter which has been sent to us giving the programme for the session says:

"....the following Fridays have been allotted for the disposal of Private Members' Business:—

7th September,

14th September,

21st September,

28th September, and

5th October."

And again:

"Out of the above Fridays, the Speaker has been further pleased to earmark the 14th September, 1956, for the disposal of the Bihar Land Reforms Bill, 1953 (of Shri Basawan Sinha, M. L. A.)."

And I was speaking last time. I am on my legs and I should speak first, Sir. As a matter of fact this should have come earlier. इसके मुताबिक इस बिल को पहले आना चाहिये था लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब इस समय चूंकि समय बहुत ही कम है और यह बिल बहुत दिनों से इस हाउस में पड़ा हुआ है और सरकार की ओर से भी जो लैंड सिलिंग बिल आया था उसके बारे में यह घोषणा हो चुकी है कि उसको इस सेशन में नहीं लाया जायगा और कोई ठिकाना नहीं है कि कब वह बिल फिर आवेगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल पर और ज्यादा बहस न करके वोटिंग ही हो जाय। अब मैं इस पर कोई भाषण करना नहीं चाहता हूं।

श्री राम नारायण मंडल—उपाध्यक्ष महोदय, जो लैंड रिफौर्म्स बिल, १९५३ इस हाउस में श्री बसावन सिंह ने पेश किया था उसका काफी अध्ययन करने का मौका मुझे मिला है। उनसे मुझे यह उम्मीद थी कि वे बहुत ही सोच-विचार के बाद इस बिल को यहां पर पेश किये होंगे लेकिन पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। भूमि सुधार कानून में किसी तरह का सुधार करने की यही मंशा होनी चाहिये जिसमें अभी हमारे राज्य और देश में जो अनाज की कमी है वह दूर हो जाय लेकिन उनके बिल में तो बार-बार यही दुहराया गया है और उनकी पार्टी की तरफ से भी यही कहा जाता है कि भूमि का बटवारा होना चाहिये। अगर बटवारा करने से भी भूमि की समस्या हल हो जाती तो मैं इसके लिये भी तैयार हो जाता लेकिन मेरे जानते उनके बिल की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो सकती है। अभी आप प्रत्येक आदमी को पांच एकड़ जमीन देना चाहते हैं लेकिन आपको जानना चाहिये कि सभी

लोगों को पांच एकड़ भी जमीन देने के लिये आपके पास जमीन नहीं है। जिस किसान के पास पांच एकड़ जमीन भी है वह उसको अच्छी तरह से आबाद नहीं कर पाता है और न उसकी जीविका खेती पर ही निर्भर रहने से चल सकती है।

श्री रामानन्द तिवारी—हरएक आदमी के लिये पांच एकड़ जमीन नहीं है बल्कि प्रत्येक परिवार पर पांच एकड़ देने की बात है।

श्री राम नारायण मंडल—पांच आदमी को ही लेकर तो आप एक परिवार मानते हैं। अभी तो यह हालत है कि मामूली किसान के पास खेती के जितने साधन हैं उनसे वह वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर सकता है।

श्री राम नारायण चौधरी—तो क्या आप चाहते हैं कि सभी आदमी ट्रैक्टर से ही खेती करें ?

श्री राम नारायण मंडल—आप ट्रैक्टर से घबड़ाते क्यों हैं ? मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि इस देश में ८० हजार एकड़ जमीन भी जोतनेवाले लोग हैं और उनके पास खेती के सभी साधन मौजूद रहने से और अच्छी तरह से खेती करने से प्रत्येक एकड़ पीछे २० मन तक पैदावार होती है। उसने चैलेंज किया था कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने से ज्यादा पैदावार हो सकती है और इस तरह से देश में अन्न की वृद्धि की जा सकती है। लेकिन भूमि के वितरण करने से यह समस्या हल नहीं होती है। तब आपके बिल का क्या उद्देश्य माना जाय। अगर इस बिल के अनुसार जमीन का बटवारा किया जाय तौभी जमीन की कमी ही रह जायगी और अभी जो अन्न की कमी की समस्या है वह ज्यों की त्यों रह जायगी। अभी अगर प्रत्येक परिवार पीछे ५ एकड़ या ३० एकड़ जमीन का बटवारा करते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब परिवार में वृद्धि होगी तो उसका भी आपस में बटवारा होगा और इस तरह से आप जमीन की कमी की समस्या को भी इस बिल के जरिये हल नहीं कर सकेंगे। दिनोंदिन जमीन के टुकड़े होते जायेंगे और अन्न की कमी की समस्या और बढ़ती ही जायगी। आप अभी देहात में जाकर देखें तो मालूम होगा कि जिस किसान के पास पांच एकड़ जमीन है उससे उसकी जीविका नहीं चलती है बल्कि उसके साथ ही साथ दूसरे रोजगार करने से ही उसकी जीविका चलती है। कुछ किसान हैं जो कम जमीन रहने से ज्यादा मिहनत करते हैं लेकिन साधन के नहीं रहने से और वैज्ञानिक ढंग से खेती न करने से पैदावार ज्यादा नहीं होती है। इसलिये पांच एकड़ प्रति परिवार जमीन देने से या २० एकड़ जमीन देने से अन्न की कमी का सवाल हल नहीं होता है। पटना या शाहाबाद जिले में पांच एकड़ जमीन से भले ही जीविका कुछ अंश में चल जाय लेकिन और जिलों में १०० एकड़ तक जमीन रहने पर भी जीविका की समस्या हल नहीं होती है। इसलिये भूमि के वितरण में इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप प्रत्येक किसान के पास पांच एकड़ ही जमीन रहने देकर क्या उनको इस खेती के काम से हटा कर किसी दूसरे काम में लगने के लिये बाध्य करना चाहते हैं ? ऐसा करने से वे अपनी जीविका चलाने के लिये खेती के अलावे दूसरे रोजगार को खोजने में लग जायेंगे और खेती का काम ठीक तरह से नहीं हो सकेगा। आप इस बिल के अनुसार खेती का बटवारा करके इस तरह के खेतिहर को दूसरे रोजगार या

मजदूरी करने के लिये ही बाध्य करेंगे लेकिन इससे कोई समस्या सुलझने वाली नहीं है। अभी तो हालत यह है कि जो लोग मजदूर हैं उनको ही काम देने के लिये हमारे पास काम नहीं है और दूसरे मजदूरों को काम देने के लिये और काम कहां से लायेंगे ? इस तरह से इस लैंड रिफौर्म्स से यह समस्या हल नहीं होती है बल्कि बेकारी और बढ़ जायगी। अभी जो बेकारी की समस्या है वही हल नहीं हो रही है।

देहातों में जो किसान रहते हैं उनको छः महीने तक या कभी-कभी सालों भर तक बेकार रहना पड़ता है, इसलिए उनको रोजी देने के लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप उन किसानों को आधुनिक ढंग से खेती करने के तरीके को सिखलाइये जैसा कि और देशों में होता है जिसकी वजह से वहां की पैदावार भी काफी होती है। अमेरिका में तो इतनी ज्यादा पैदावार होती है कि कभी-कभी उनलोगों को समुद्र में अन्न को फेंकना पड़ता है।

सभा सोमवार, तिथि १७ सितम्बर १९५६ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना:

तिथि १४ सितम्बर, १९५६।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव,
विहार विधान-सभा।

बि० स० मु० (एल०ए०) २७३—मोनो—८७१+२५—२२-१२—१९५६—व० ना० सिंह